संख्या- 13/2022/3641/77-6-2021-6002(099)/7/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल,लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक: 03 मार्च, 2022**

विषय:-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू.10,15,53,000.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्रांक-आई.आई.पी.एस./10/07.08/vol-IV /1361 दिनांक 27-12-2021 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत 03 पात्र इकाईयों को स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष कुल धनराशि रू.10,15,53,237.00(रूपया दस करोड़ पन्द्रह लाख तिरपन हजार दो सौ सैंतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयों का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रमांक	**इकाई का नाम**	**स्वीकृत धनराशि (रूपये में)**	**वितरण हेतु आहरित की जाने वाली धनराशि (स्वीकृत धनराशि का 90 प्रतिशत)**
1	पी0पी0ए0पी0 ऑटोमोटिव लि0, गौतमबुद्धनगर (वित्तीय वर्ष 2017-18)	1,21,65,732.00	1,09,49,159.00
2	सुयश पेपर मिल्स, यूनिट ऑफ सुयश केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर प्रा0लि0, बस्ती (वित्तीय वर्ष 2017-18)	3,03,71,478.00	2,73,34,330.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	मे0देवयानी फूड इण्डस्ट्रीज लि0 मथुरा	7,02,99,720.00	6,32,69,748.00
	योग-	11,28,36,930.00	10,15,53,237.00 (रूपया दस करोड़ पन्द्रह लाख तिरपन हजार दो सौ सैंतीस मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रू.94.00करोड़(रूपया चौरानवे करोड़ मात्र) में अवशेष धनराशि में से रू.10,15,53,000.00(रूपया दस करोड़ पन्द्रह लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे आहरित कर जमा की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
4. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./ एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
9. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
10. यदि इन इकाईयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
11. पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथासंशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
12. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज(1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
13. यदि पिकप द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो पिकप द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
14. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
15. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
16. पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
17. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-6-3442-दस-2021-22 दिनांक 28.02.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या- 13/2022/3641(1)/77-6-2021-6002(099)/7/2021,तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-आई.आई.पी.एस./10/07.08/vol-lV/1361 दिनांक 27-12-2021 के क्रम मेंअग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।